राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.169/मुसप्र/मुद्रांक शुल्क/2011/ 1082 दिनांकः– 6-7-11

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के वित्त (कर) विभाग की "**अधिसूचना**" जयपुर दिनांक 31.5.2011 के द्वारा आदेशित किया गया है कि "राजस्थान आवासन मण्डल की स्ववित्त पोषित योजना (SFS) के तहत मूल आवंटी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड पर निर्मित भवन (भूमि को छोड़कर) के संबंध में मण्डल द्वारा निष्पादित कन्वेन्स डीड मूल आवंटी के पक्ष में पंजीकृत होने पर ऐसी कन्वेन्स डीड पर दिये स्टाम्प ड्यूटी का परिहार इस शर्त पर किया जायेगा कि भूमि के संबंध में जारी परपेचुअल लीज डीड पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया है अर्थात स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटित आवास का हस्तांतरण (परपेचुअल लीज) मूल आवंटी के पक्ष में जारी किये जाने पर केवल भूखण्ड के हस्तांतरण (परपेचुअल लीज) का पंजीयन ही पर्याप्त होगा। इसमें भूखण्ड पर बने भवन की लागत को वास्तविक प्रतिफल में शामिल नहीं किया जायेगा। यह अधिसूचना दिनांक 28.03.1999 से प्रभावी होगी, परन्तु किसी भी मामले में अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का प्रतिदाय नहीं होगा।"

अतः मण्डल के सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुरूप स्ववित्त पोषित योजनाओं में आवंटित आवासों के पंजीयन हेतु मूल आवंटी के पक्ष में परपेचुअल लीज डीड ही जारी की जावे।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
4. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी एण्ड एम, रा0आ0म0, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, ...
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, ...
8. जन सम्पर्क अधिकारी/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर , रा0आ0म0, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक